जीएसटी 2.0 : कोरोगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री पर संकट

कोलकाता. क्राफ्ट पेपर पर 18 प्रतिशत और तैयार कोरोगेटेड बॉक्स पर पांच प्रतिशत जीएसटी की नयी कर संरचना ने कोरोगेटेड बॉक्स इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ा दी है. इसे लेकर ईस्टर्न इंडिया कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से 20 हजार से अधिक यूनिटों पर बंद होने का खतरा पैदा हो गया है. उनका कहना है कि यह ढांचा उद्योग के लिए घातक साबित हो सकता है और रिफंड के लिए सेल टैक्स युग की तरह दफ्तर-दफ्तर भटकना पड़ सकता है. पहले कच्चा माल और तैयार माल पर 12 प्रतिशत कर लगता था. कोरोगेटेड बॉक्स पर जीएसटी दर को 12 प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है, यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन क्राफ्ट पेपर पर जीएसटी दर 12 से बढ़ा कर 18 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे कोरोगेटेड बॉक्स की कीमत पांच से सात प्रतिशत तक बढ़ सकती है. उन्होंने कहा कि जीएसटी की इस विसंगति से कोरोगेटेड बॉक्स उद्योग को नुकसान की आशंका है. वहीं, तैयार कोरोगेटेड बॉक्स पर टैक्स में कमी का लाभ भी उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा, क्योंकि कच्चा माल महंगा होने से लागत बढ़ जायेगी. इसके साथ उत्पादन इकाइयों को अधिक कार्यशील पूंजी की जरूरत होगी. इसके चलते कोरोगेटेड उद्योग ने सरकार से इस टैक्स विसंगति को दूर करने की मांग की है.